संख्या- /63-व0उ0-2024

प्रेषक,

सुरभि सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊः दिनांकः नवम्बर, 2024

विषय:- उहैण्डलूम पावरलूम सिल्क 0प्र0, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2022 की मानक परिचालन प्राक्रिया (एस०ओ०पी०) निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-610/नियोजन/टेक्स0 पालिसी-2022/2023-24 दिनांक 10.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 हैण्डलूम पावरलूम सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2022 की मानक परिचालन प्राक्रिया (एस०ओ०पी०) अनुमोदित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, उ0प्र0 हैण्डलूम पावरलूम सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2022 की मानक परिचालन प्राक्रिया (एस०ओ०पी०) अनुमोदित कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Surabhi Singh
Date: 04-11-2024 14:49:17

(सुरभि सिंह)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0)

एस0ओ0पी0 का वर्तमान प्राविधान	एस0ओ0पी0 का संशोधित प्राविधान
प्रस्तर 6.B.ii. **b)** पूर्व की उत्पादन क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी हो। उत्पादन क्षमता में वृद्धि का आगणन टर्नओवर के आधार पर किया जायेगा।	**प्रस्तर 6.B.ii.** **b)** पूर्व की उत्पादन क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी हो। ***विस्तारीकरण इकाई के सन्दर्भ में*** उत्पादन क्षमता में वृद्धि का आगणन स्थापित की गयी मशीनरी की उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जायेगा। तथा ***विविधीकरण इकाई के सन्दर्भ में*** उत्पादन क्षमता में वृद्धि का आगणन टर्नओवर के आधार पर किया जायेगा।
प्रस्तर 7.B. **i. वस्त्र उद्योग इकाईयों एवं टेक्सटाइल पार्क के प्रस्तावों एवं रेशम उद्योग से सम्बन्धित इकाईयों के प्रस्तावों तथा युवाओं के स्वरोजगार सृजन एवं अन्य वित्तीय सुविधाओं के प्रस्तावों पर निर्णय लेने हेतु कमेटी की संरचना निम्नवत होगीः-**	**प्रस्तर 7.B.** **i. वस्त्र उद्योग इकाईयों एवं टेक्सटाइल पार्क के प्रस्तावों एवं रेशम उद्योग से सम्बन्धित इकाईयों के प्रस्तावों तथा युवाओं के स्वरोजगार सृजन एवं अन्य वित्तीय सुविधाओं के प्रस्तावों पर निर्णय लेने हेतु कमेटी की संरचना निम्नवत होगीः-**

1	संयुक्त आयुक्त उद्योग- अध्यक्ष	1	परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग- अध्यक्ष
2	परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग- संयोजक सदस्य	2	उप आयुक्त, जिला उद्योग केन्द्र अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि- सदस्य
3	उप आयुक्त, जिला उद्योग केन्द्र अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि- सदस्य अथवा सम्बन्धित प्रबन्धक, निट्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर- सदस्य अथवा सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय- सदस्य अथवा वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रभारी अधिकारी- सदस्य	3	सम्बन्धित प्रबन्धक, निट्रा पावरलूम सर्विस सेन्टर- सदस्य अथवा सम्बन्धित सहायक निदेशक, वस्त्रायुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय- सदस्य अथवा वस्त्रायुक्त द्वारा संचालित पावरलूम सर्विस सेन्टर के प्रभारी अधिकारी- सदस्य
4	सम्बन्धित सहायक निदेशक, रेशम विकास विभाग- सदस्य	4	विलोपित।
5	औद्योगिक संघ, जिससे वस्त्र इकाई सम्बन्धित हो, का प्रतिनिधि- सदस्य (इनकी उपस्थिथि अनिवार्य ना होकर ऐच्छिक है अर्थात इनके अनुपस्थिति से कमेटी के कोरम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा)	5	औद्योगिक संघ, जिससे वस्त्र इकाई सम्बन्धित हो, का प्रतिनिधि- सदस्य (इनकी उपस्थिथि अनिवार्य ना होकर ऐच्छिक है अर्थात इनके अनुपस्थिति से कमेटी के कोरम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा)
6	सम्बन्धित बैंक, जिससे वस्त्र इकाई ने ऋण प्राप्त किया हो, का प्रतिनिधि- सदस्य	6	सम्बन्धित बैंक, जिससे वस्त्र इकाई ने ऋण प्राप्त किया हो, का प्रतिनिधि- सदस्य

(इनकी उपस्थिथि अनिवार्य ना होकर ऐच्छिक है अर्थात इनके अनुपस्थिति से कमेटी के कोरम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा)	(इनकी उपस्थिथि अनिवार्य ना होकर ऐच्छिक है अर्थात इनके अनुपस्थिति से कमेटी के कोरम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा)
7 निदेशक, आई0आई0एच0टी0, वाराणसी द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि- सदस्य	7 विलोपित।
8 प्रभारी अधिकारी, बुनकर सेवा केन्द्र अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि- सदस्य	8 विलोपित।
परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञों को भी आमन्त्रित किया जा सकता है।	परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञों को भी आमन्त्रित किया जा सकता है।
प्रस्तर 8.D. **i.** उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी 2022 में अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये दो चरणों में आवेदन करना होगा। प्रथम चरण के अन्तर्गत “लेटर आफ कम्फर्ट” के निर्गमन हेतु वस्त्र इकाई का प्रारूप-1 पर आवेदन करना होगा। द्वितीय चरण के अन्तर्गत “धनराशि वितरण” हेतु वस्त्र इकाई का प्रारूप-2 पर आवेदन करना होगा। आवेदन-पत्र के साथ सम्बन्धित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायेंगे।	**प्रस्तर 8.D.** i. उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी 2022 में अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये दो चरणों में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रथम चरण के अन्तर्गत “लेटर आफ कम्फर्ट” के निर्गमन हेतु वस्त्र इकाई का प्रारूप-1 पर आवेदन करना होगा। द्वितीय चरण के अन्तर्गत “धनराशि वितरण” हेतु वस्त्र इकाई का प्रारूप-2 पर आवेदन करना होगा। आवेदन-पत्र के साथ सम्बन्धित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायेंगे। **a.** यदि इकाई द्वारा उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है, तो इकाई को एल0ओ0सी0 हेतु आवेदन करने की अनिवर्यता नहीं होगी। इकाई सीधे ही प्रारूप-2 पर धनराशि वितरण हेतु आवेदन कर सकती है।
प्रस्तर 8.E. **i.** परिक्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त आवेदन-पत्र का परीक्षण अभिलेखीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार से किया जायेगा। परिक्षणोपरान्त पूर्ण एवं पात्र आवेदन-पत्रों को परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।	**प्रस्तर 8.E.** i. परिक्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त आवेदन-पत्र का परीक्षण अभिलेखीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार से किया जायेगा। a. परीक्षणोपरान्त पूर्ण एवं पात्र “लेटर आफ कम्फर्ट” के आवेदन-पत्रों को परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मुख्यालय (हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर) को संस्तुति सहित प्रेषित किया जायेगा। एलओसी जारी करने हेतु थर्ड पार्टी द्वारा परियोजना के अप्रेजल की आवश्यकता नहीं है। पात्र प्रस्तावों के सापेक्ष “लेटर आफ कम्फर्ट” के निर्गमन हेतु अंतिम स्वीकृति आयुक्त एवं निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी परियोजना पर “लेटर आफ कम्फर्ट” जारी करने हेतु अंतिम स्वीकृति आयुक्त एवं निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। b. परिक्षणोपरान्त पूर्ण एवं पात्र “धनराशि वितरण” के आवेदन-पत्रों को परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। परिक्षेत्रस्तरीय कमेटी की संस्तुति के उपरान्त पात्र आवेदन-पत्रों को परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मुख्यालय

ii. परिक्षेत्र स्तरीय कमेटी की संस्तुति के उपरान्त पात्र आवेदन-पत्रों को परिक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा। ***विद्यमान अन्य उप प्रस्तर 8.E. iii. से 8.E.v तक यथावत्।*** vi. पी0एम0ए0 से प्राप्त अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर पात्र प्रस्तावों को मुख्यालय द्वारा "सक्षम राज्य स्तरीय कमेटी" के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। vii. 50 करोड़ रुपये तक का स्थायी पूंजी निवेश करने वाली इकाईयों के पात्र प्रस्तावों के सापेक्ष "लेटर आफ कम्फर्ट" का निर्गमन एवं धनराशि वितरण का अनुमोदन राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा। viii. 50 करोड़ रूपये से अधिक का स्थायी पूंजी निवेस करने वाली इकाईयों के पात्र प्रस्तावों के सापेक्ष "लेटर आफ कम्फर्ट" का निर्गमन एवं धनराशि वितरण का अनुमोदन "शासकीय स्वीकृति समिति" द्वारा किया जायेगा। ***विद्यमान अन्य उप प्रस्तर 8.E.ix. यथावत्।***	(हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर) को प्रेषित किया जायेगा ii. विलोपित। **विद्यमान अन्य उप प्रस्तर 8.E. iii. से 8.E.v तक य़थावत्।** vi. पी0एम0ए0 से प्राप्त अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर "धनराशि वितरण के प्रस्तावों को मुख्यालय द्वारा "सक्षम राज्य स्तरीय कमेटी" के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। vii. 10 करोड़ रुपये तक का स्थायी पूंजी निवेश करने वाली इकाईयों के पात्र प्रस्तावों के सापेक्ष धनराशि वितरण का अनुमोदन राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा। viii. 10 करोड़ रूपये से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करने वाली इकाईयों के पात्र प्रस्तावों के सापेक्ष धनराशि वितरण का अनुमोदन "शासकीय स्वीकृति समिति" द्वारा किया जायेगा। **विद्यमान अन्य उप प्रस्तर 8.E.ix.यथावत्।**
प्रस्तर 11.D. पात्रता की शर्तेः- ***(विद्यमान उप प्रस्तर 11.D.i. से 11.D.iii. तक सम्बन्धित अन्य उप प्रस्तरों सहित यथावत्।)*** ***(नया प्रस्तर 11.D. iv. व v. जोड़ा गया है।)***	**प्रस्तर 11.D. पात्रता की शर्तेः-** ***(विद्यमान उप प्रस्तर 11.D.i. से 11.D.iii. तक सम्बन्धित अन्य उप प्रस्तरों सहित यथावत्।)*** iv. इस वित्तीय सुविधा हेतु इकाई तभी पात्र होगी, जबकि प्लान्ट एवं मशीनरी का क्रय इस पालिसी की अधिसूचना जारी होने की तिथि (दिनांक 17.10.2022) को या उसके बाद पालिसी अवधि में किया जाता है। v. यदि इकाई द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी का क्रय बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर किया जाता है, तो उस स्थिति में प्लान्ट एवं मशीनरी के क्रय के लिये बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण वितरण की तिथि पालिसी की अधिसूचना जारी होने की तिथि (दिनांक 17.10.2022) को या उसके बाद पालिसी अवधि में होनी चाहिए।

Signed by
Pranjal Yadav
Date: 30-10-2024 18:30:33

(प्रांजल यादव)

सचिव